न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरिमोहन मीना I.A.S.

प्रकरणसंख्या – 66/2018 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2018/00290

सुरेन्द्र निमोदिया आत्मज गोपीलाल जाति अग्रवाल निवासी सी–10, बल्लभ बाडी, पुराना थाना गुमानपुरा कोटा हाल निवासी ए–201, अमृत कलश अपार्टमेन्ट, टोंक रोड जयपुर (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

सहायक वन संरक्षक अभेडा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 30.11.2017 मि0नं0 214/2017व अतिरिक्त आदेश दिनांक 20.8.2018 न्यायालय सहायक वन संरक्षक अभेडा बायोजिकल पार्क कोटा, जिला कोटा

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–11.04.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा वनखण्ड सकतपुरा के मौजा नान्ता के हाल ख0नं0 1653, (साबिक खसरा नम्बर 1183) में अप्रार्थी ने रकबा 1812.26 वर्गमीटर वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का तारबन्दी कर पत्थर स्टॉक डाल कर अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी अभेडा बायोलोजिकल पार्क के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 214/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 1950/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.11.2017 को निर्णय पारित किया तत्पश्चात अप्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.8.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसको भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश 20.8.2018 को निरस्त किया ।

2. उक्त आदेशों की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 03.10.2018 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अतिरिक्त आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्ट को जिस भाग आराजी का अतिक्रमी मानकर विवादित मूल आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित किया गया है, उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वर्षो से पूर्व से अनेक लोक पक्के मकान बनाकर निवास करत चले आ रहे है अपीलार्थी भी उक्त आराजी के एक भाग

जिला कलेक्टर
कोटा

पर वर्षो पूर्व से काबिज चला आ रहा है यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सूचित किये बिना जवाब साक्ष्य व अपना पक्ष आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलार्थी के विरूद्व मनमाने तौर पर एक पक्षीय आदेश कर निर्णय करने में त्रुटि की है । अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.8.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते समय दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित कर दिया था कि अपीलार्थी पिछले 5 वर्षो से जयपुर निवास कर रहा है और कभी भी कोई नोटिस अपीलार्थी के वर्तमान पते पर जारी नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी को कार्यवाही की कभी कोई सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं होने के कारण उपरोक्त कार्यवाही में अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका । न्यायहित में समुचित अवसर प्रदान किया जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.2018 को निरस्त कर दिया गया जो न्याय के स्थापित सिद्वान्तों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.11.2017 एवं 20.8.2018 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थि है । अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट को आवांजे लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में राजकीय अभिभाषक की प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. रेस्पोडेन्ट के राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा वनखण्ड सकतपुरा के मौजा नान्ता के हाल ख0नं0 1653, (साबिक खसरा नम्बर 1183) में अप्रार्थी ने रकबा 1812.26 वर्गमीटर वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का तारबन्दी कर पत्थर स्टॉक डाल कर अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी अभेडा बायोलोजिकल पार्क के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 214/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 1950/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.11.2017 को निर्णय पारित किया । अतिक्रमित भूमि क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा मौका पंचनामा, अतिक्रमण क्षैत्र का नजरी नक्शा तथा सकतपुरा वन खण्ड की राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 7(61) रेवे.ए./64 जयपुर दिनांक 6.4.1964 की सत्यप्रति एवं वन विभाग की जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि वन विभाग की होने से तथा वन विभाग की भूमि पर किये गये अतिक्रमण किसी भी स्थिति में नियमित योग्य नहीं होने से विभाग द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही उचित है । अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017 एवं अतिरिक्त आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 3.10.2018 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है, फिर भी न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा वनखण्ड सकतपुरा के मौजा नान्ता के हाल ख0नं0 1653, (साबिक खसरा नम्बर 1183) में अप्रार्थी ने रकबा 1812.26 वर्गमीटर वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का तारबन्दी कर पत्थर स्टॉक डाल कर अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी अभेडा बायोलोजिकल पार्क के आधार पर

जिला कलेक्टर
कोटा

धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 214/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 1950/– जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.11.2017 को निर्णय पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 7(61) रेवे.ए./64 जयपुर दिनांक 6.4.1964 की सत्यप्रति एवं वन विभाग की जमाबंदी अनुसार अतिक्रमित भूमि वन विभाग की भूमि है, अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर तारबन्दी की जाकर पत्थर का स्टॉक डाल रखा है जो बेदखली योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई बेदखली एवं अर्थदण्ड के आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिमोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा